

3

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(5)राज/वाद/19
समस्त बोर्ड/निगम/
अन्य स्वायत्तशासी संस्थाएं,
राजस्थान।

जयपुर, दिनांक 27/6/19

::परिपत्र::

विषय:- बोर्ड/निगम एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित महत्वपूर्ण मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।

राज्य सरकार के हित को ध्यान में रखते हुए समस्त बोर्ड/निगम को यह निर्देशित करना समीचीन होगा, कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण, जनमानस एवं वित्तीय मामलों से जुड़े प्रकरणों में सीनियर अधिवक्ता व अन्य अधिवक्ता को विभागीय स्तर से नियुक्त करने से पूर्व उनका नाम वरिष्ठतम, अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विधि विभाग के संज्ञान में लायेंगे।

ह०

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि, राजस्थान सरकार।


27/6/19
प्रमुख शासन सचिव, विधि